रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2002/ज्येष्ठ 16, 1924
No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2002/JYAISTHA 16, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2002

एं. एन. 10/12/2001-पी.पी.सी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [बढ़ई, पेंटर, ड्राइवर,सहायक परिवहन पर्यवेक्षक और परिवहन सहायक पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूचि के में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

4. प्रारंभिक संघटन:- इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय वरिष्ठ बढ़ई, बढ़ई, पेंटर, मोटर ड्राइवर [भारी वाहन] [ओबी वैन], ड्राइवर ग्रेड- I, ड्राइवर ग्रेड- II, ड्राइवर [साधारण ग्रेड], सहायक परिवहन पर्यवेक्षक, परिवहन सहायक इन विनियमों के लागू होने से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले उच्च ग्रेड में उनकी पदोन्नति आदि के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

4. <u>पद संख्या और वेतनमान -</u>

उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

5. <u>भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -</u>

उपर्युक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. <u>अनर्हता -</u>

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. <u>शिथिल करने की शक्ति -</u>

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा उक्त पदों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं से संबंधित इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. <u>शर्त</u>:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	की संख्या	वेतनमान	क्य चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित्त आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विमागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वरिष्ठ बढ़ई	*17 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	4000-100-6000/- रूपए	अचयन	22 से 30 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी] **टिप्पणी:-** आयु सीमा निर्धारित्त करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिलेक का लद्दाख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित्त अंतिम तारीख को छोड़कर।	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सक्षमता प्रमाण पत्र या बढ़ईगिरी में डिप्लोमा तथा किसी मान्यता प्राप्त फर्म या सरकारी संस्थान में कम से कम दो वर्ष कार्य करने का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त फर्म या सरकारी संस्थान में 5 साल का बढ़ईगिरी में कुशलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	बढ़ई के ग्रेड के कर्मचारियों में से जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर ली हो।	**पुष्टिकरण हेतु:-** *1. निदेशक [अभियांत्रिकी], आकाशवाणी- अध्यक्ष *2. उप विकास अधिकारी प्रशासन- सदस्य *3. कार्यपालक अभियंता या उसके समकक्ष स्तर का कोई बाह्य अधिकारी - सदस्य * प्रमुख अभियंता आकाशवाणी द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई, हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बढ़ई	*125 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3050-75-3950-80-4590/- रूपए	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी] टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का चम्बा जिला का लद्दाख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बढ़ईगिरी में डिप्लोमा तथा किसी मान्यता प्राप्त फर्म या सरकारी संस्थान में कम से कम दो वर्ष कार्य करने का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त फर्म या सरकारी संस्थान में 5 साल का बढ़ईगिरी में कुशलतापूर्वक कार्य करने का अनुभव।	लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	पुष्टिकरण हेतु:- 1. सहायक केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटतम केन्द्र का सहायक केन्द्र अभियंता]] -अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/ कार्यक्रम निष्पादक या संबंधित कार्यालय में समान ग्रेड का अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/ प्रधान लिपिक- सदस्य

पद का नाम	की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पेंटर	*68 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3050-75-3950-80-4590/- रूपए	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी] **टिप्पणी:-** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिलेक का लद्दाख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	सभी प्रकार के विवरणों के परिष्कारक पेंटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना चहिए।	लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**पुष्टिकरण हेतु:-** 1. सहायक केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटत्तम केन्द्र का सहायक केन्द्र अभियंता]] -अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशका/ कार्यक्रम निष्पादक या संबंधित कार्यालय में समान ग्रेड का अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/ प्रधान लिपिक- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मोटर ड्राइवर [भारी] वाहन [ओ. बी. वैन ड्राइवर]	*668 [2001] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3050-75-3950-80-4590/- रुपए	चयन जैसा कि कॉलम 10 में प्रावधान किया गया है।	26 से 30 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी] टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिलेक का लद्दाख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	अनिवार्य: तीन से पांच टन का वाहन चलाने का स्थायी वैद्य लाइसेंस होना चाहिए। मोटर चलाने का व्यावसायिक कौशल और मोटर यांत्रिकी का ज्ञान तथा हल्के एवं भारी वाहन का अनुभव होना चाहिए वांछनीय: आठवीं कक्षा पास होना चाहिए।	हां	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा	संबंधित स्थान पर स्थित प्रसार भारती कार्यलयों के ड्राइवरों की मोटर चलाने की परीक्षा लेकर प्रोन्नति।	पुष्टिकरण हेतु:- 1. केन्द्र निदेशक] - अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक - सदस्य 3. परिवहन विभाग का एक प्रतिनिधि [जिसे केन्द्र निदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा] - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ड्राइवर ग्रेड-।	* 159 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	4000-100-6000/- रूपए	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड- II के रूप में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा ग्रेड-II और साधारण ग्रेड दोनों को मिलाकार 15 वर्ष की सेवा वाले स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II और 2. परन्तु शर्त यह है कि निम्नलिखित . पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा पास कर लें- 1. अंग्रेजी शब्दों और अंकों को पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। 2. यातायात के नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 3. डीजल और पैट्रोल इंजिन की कार्य प्रणाली के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा खराबियों का [illegible] और छोटी- मोटी खराबियों को सुधारने की योग्यता होनी चाहिए। 4. कार्बोरेटर, प्लग आदि की सफाई करने की योग्यता होनी चाहिए।	1. केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटतम केन्द्र का केन्द्र अभियंता] - अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/ कार्यक्रम निष्पादक या संबंधित कार्यालय में समान ग्रेड का अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/ प्रधान लिपिक- सदस्य

पद का नाम	की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ड्राइवर ग्रेड-II	* 199 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	4000-100-6000/- रुपए	वरिष्ठता के आधार पर चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	1. मूल ग्रेड में 9 वर्ष की सेवा वाला ड्राइवर और 2. परन्तु शर्त यह है कि निम्नलिखित पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा पास कर लें- 1. अंग्रेजी शब्दों और अंकों को पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए। 2. यातायात के नियमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 3. खराबी का पता लगाने और छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने की योग्यता होनी चाहिए। 4. पहियों को बदलने एवं उनमें हवा भरने की योग्यता होनी चाहिए।	1. सहायक केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटतम केन्द्र का सहायक केन्द्र अभियंता] -अध्यक्ष 2.कार्यक्रम निष्पादक या संबंधित कार्यालय में समकक्ष ग्रेड का अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/ प्रधान लिपिक- सदस्य

पद का नाम	की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित्त आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 पुष्टिकरण हेतु :—
ड्राइवर [साधारण ग्रेड]	* 796 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3050-75-3950-80-4590/-रूपए	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी] टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लद्दाख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित्त अंतिम तारीख को छोड़कर।	अनिवार्य 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए II मोटर यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिए। III गाड़ी चलाने का वैद्य लाइसेंस होना चाहिए	लागू नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रसार भारती में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी, उनमें से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो भर्ती रोजगार कार्यालय द्वारा की जाएगी।	लागू नहीं	1. सहायक केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटतम केन्द्र का सहायक केन्द्र अभियंता]—अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/कार्यक्रम निष्पादक या संबंधित कार्यालय में समकक्ष ग्रेड का अधिकारी—सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक—सदस्य

पद का नाम	की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिवहन सहायक पर्यवेक्षक	* 1 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	4600–100–6000/- रुपए	अचयन	18 से 25 वर्ष तक (प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी) टिप्पणी:- आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिलेक का लद्दाख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	1. मैट्रिक या समकक्ष II अंग्रेजी/ हिन्दी/ क्षेत्रीय भाषा में, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए III मोटर कार के मैकेनिजम तथा उनकी मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	परिवहन सहायक के ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा वाले परिवहन सहायक	पुष्टिकरण के लिए 1. सहायक केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटतम केन्द्र का सहायक केन्द्र अभियंता] अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/कार्यक्रम निष्पादक या संबंधित कार्यालय में समकक्ष ग्रेड का अधिकारी—सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक—सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
परिवहन सहायक	* 3 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	3050-75-3950-80-4590/- रूपए	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष तक [प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी] **टिप्पणी:-** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी परन्तु असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिलेक का लद्दख प्रभाग, अन्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर।	1. मैट्रिक या समकक्ष II अंग्रेजी/ हिन्दी/ क्षेत्रीय भाषा में, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए III परिवहन कार्य में अनुभव होना चाहिए।	नहीं	2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**पुष्टिकरण के लिए** 1. सहायक केन्द्र अभियंता, [केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता के उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए निकटत्तम केन्द्र का सहायक केन्द्र अभियंता] -अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/कार्यक्रम नि. या संबंधित कार्यालय में समकक्ष ग्रेड का अधिकारी—सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक—सदस्य

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002-असा.]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2002

No. N-10/12/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement** : (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Carpenter, Painter, Driver, Assistant Transport Supervisor and Transport Assistant Posts) Service Regulations, 2002.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** : These regulations shall apply to the posts specified in the Schedule annexed hereto.

3. **Initial Constitution** : All persons appointed at the commencement of these regulations holding the posts of Senior Carpenter, Carpenter, Painter, Motor Driver (Heavy Vehicle) (O.B. Van Driver), Driver Grade I, Driver Grade II, Driver (Ordinary Grade), Assistant Transport Supervisor and Transport Assistant on regular basis and who have opted for transfer of their services to the Corporation, shall be deemed to have been appointed as such under these regulations. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be

taken into account for the purpose of confirmation, deciding the eligibility to the next higher grade and pension.

4. **Number of posts and scales of pay** : The number of posts and their scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) and (3) of the Schedule aforesaid.

5. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** : The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.

6. **Disqualification** : No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule with prior approval of the Central Government.

7. **Power to relax** : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations relating to age limit, educational and other qualifications and minimum qualifying service with respect to any class or category of persons or posts.

8. **Saving** : Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the scheduled tribes, Other Backward Communities, Ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Senior Carpenter	*17 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs. 4000-100-6000/-	Non-selection.	Between 22-30 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	A certificate of competency or a diploma in carpentry from a recognized Institute with experience of at least two years in a recognized firm or Government Institution . or Five years skilled experience in carpentry in a recognized firm/ Government Institution.	No.	Two years for direct recruits.	75% by promotion. 25% by direct recruitment	From the grade of Carpenter with three years service in the grade in the zone.	*1. Director (Engineering), Akashvani – Chairman *2. Deputy Development Officer (Administration) _ Member *3. An outside member of the rank of executive Engineer or equivalent – Member * To be nominated by Engineer-in-Chief, Akashvani.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2. Carpenter	*125 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.3050-75-3950-80-4590/-	Not applicable	Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	A diploma in carpentry from a recognized Institution with experience of at least two years in a recognized firm or gGvernment Institution . or Five years skilled experience in carpentry in a recognized firm/ Government Institution.	Not applicable	Two years	Direct Recruitment	Not applicable	For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings Assistant Station Engineer of the nearest station) - Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member 3. Administrative Officer/Head Clerk – Member.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3. Painter	*68 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.3050-75-3950-80-4590/-	Not applicable	Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Should have three years of experience as polisher painter of all description.	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment	Not applicable	<u>For confirmation</u>: 1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings Assistant Station Engineer of the nearest station) - Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member 3. Administrative Officer/Head Clerk – Member.

1835GI/02-3

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4. Motor Driver (Heavy Vehicle) (O.B.Van Driver)	*668 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.3050-75-3950-80-4590/-	Selection (as provided in col. 10)	Between 26-30 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: Should be in possession of a permanent valid license for driving vehicles of three to five tons. Should also possess professional skill in driving and knowledge of Motor Mechanism and experience of driving light and heavy Motor Vehicles. Desirable: Middle school standard pass.	Yes	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion through a test in driving from amongst drivers of Prasar Bharati offices located at the place.	1. Station Director – Chairman. 2. Assistant Station Director – Member. 3. A representative of Transport Department (To be nominated by Station Director) - Member.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5. Driver Grade-I	*159 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.4000 -100- 6000/-	Non-selection.	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	100% by promotion	Staff Car Driver Grade-II with six years' of regular service in the grade or a combined service of fifteen years in Grade-II and Ordinary Grade put together. AND 2. Subject to pass the practical test based on the following:- i) Must be able to read English Numerals and figures. ii) Must have thorough knowledge of Traffic Regulations. iii) Must have good knowledge of Petrol & Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. iv) Must be able to clear carburetor, plus etc.	1. Station Engineer (In case of non-availability of Station Engineer at the station to chair the proceedings, Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or equivalent grade in the respective office –Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6. Driver Grade-II	*199 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.4000-100-6000/-	Selection by seniority.	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	100% by promotion	1. Driver with nine years service in the basic grade AND 2. Further subject to pass the practical test based on the following:- i) Must be able to read English Numerals and Figures. ii) Must have through knowledge of Traffic Regulations. iii) Must be able to locate faults and rectify minor running repairs. iv) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.	1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

1835 GI/2002—4

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If DPC exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7. Driver (Ordinary Grade)	*796 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.3050 -75- 3950- 80- 4590/-	Not applicable	Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Essential: (i) 8^{th} standard pass. (ii) knowledge of motor mechanism. (iii) Holder of a valid driving licence.	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment. Preference will, however, be given to regularly appointed employees in Prasar Bharati. In case of non-availability of suitable persons from amongst them, recruitment will be made through Employment Exchange.	Not applicable	For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office –Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8. Assistant Transport Supervisor	*1 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs.4000 -100- 6000/-	Non-selection.	Between 18-27 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i)Matriculation or equivalent (ii) Knowledge of Typewriting in English/ Hindi/Regional languages at a speed of thirty words per minute. (iii) Knowledge of mechanism of motor cars and their repairs	No	Two years for direct recruitment	100% by Promotion, failing which direct recruitment.	Transport Assistant with three years service in the grade.	For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office –Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk –Member.

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/ absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9. Transport Assistant	* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	Rs. 3050-75-3950-80-4590/-	Not applicable	Between 18-25 years (relaxable upto five years for employees of Prasar Bharati). *Note*: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i)Matriculation or equivalent (ii) Knowledge of typewriting at a speed of 30 words per *minute*. (iii) Experience of transport work.	No	Two years	By direct recruitment (100%)	Not applicable	For confirmation: 1. Assistant Station Engineer (In case of non-availability of Assistant Station Engineer at the station to chair the proceedings, Assistant Station Engineer of the nearest station) – Chairman 2. Assistant Station Director/ Programme Executive or Officer of the equivalent grade in the respective office – Member. 3. Administrative Officer/ Head Clerk – Member.

K. S. SARMA, Executive Member

[ADVT III/IV/163/2002-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.